# 1 भाषा, लिपि और व्याकरण
## Language, Script and Grammar

### भाषा

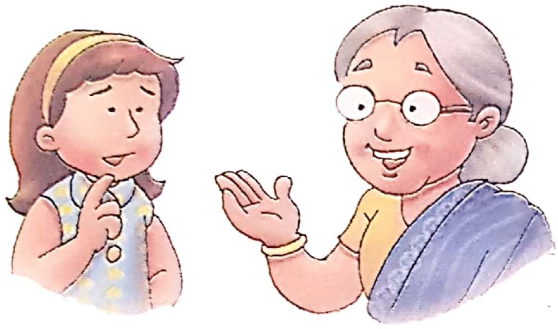

दादी और रुचिका बातचीत कर रही हैं।

नेहा गृहकार्य कर रही है।

**ऊपर दिए गए चित्रों पर ध्यान दीजिए—**

पहले चित्र में दादी और पोती बात कर रही हैं। — बोलना — सुनना

दूसरे चित्र में नेहा गृहकार्य कर रही है। — पढ़ना — लिखना

**भाषा** भावों और विचारों को एक-दूसरे तक पहुँचाने का माध्यम है।

इस तरह वे अपने विचार एक-दूसरे पर प्रकट कर रहे हैं और एक-दूसरे के विचार समझ रहे हैं।

मनुष्य को काम करने की प्रेरणा उसके विचारों से मिलती है। इन कामों में दूसरों की मदद और उनके सुझाव प्राप्त करने के लिए उसे वे विचार दूसरों के सामने प्रकट करने पड़ते हैं। यह काम वह बोलकर और सुनकर करता है, जैसा कि पहले चित्र में हो रहा है या फिर पढ़कर और लिखकर, दूसरे चित्र की तरह।

विचारों को बोलकर-सुनकर व्यक्त करना **मौखिक रूप** कहलाता है और लिखकर-पढ़कर व्यक्त करना **लिखित रूप** कहलाता है।

मानव जाति सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा द्वारा करता है। कई बार हम अपने विचारों को संकेत द्वारा भी प्रकट करते हैं; जैसे—

- सांकेतिक चिह्नों व आकृतियों द्वारा
- शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा; जैसे—

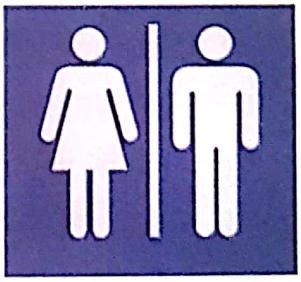



Scanned with CamScanner

आँख के इशारे से, भौंहें तानकर, मुसकराकर, हाथ के इशारे से, पैर पटककर आदि विभिन्न भावों को दर्शाते हैं।

- मूक-बधिर अपनी बात संकेत द्वारा ही प्रकट करते हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा केवल एक-दूसरे के भावों और विचारों को ही अभिव्यक्त नहीं करती, बल्कि इससे नए विचार भी उत्पन्न होते हैं। परंतु ये संकेत, आकृतियाँ या शारीरिक क्रियाकलाप एक निश्चित विचार या बात से अवगत कराते हैं। इसके साथ ही हमें यह भी जान लेना चाहिए कि सांकेतिक भाषा द्वारा सभी तरह के विचार व्यक्त नहीं किए जा सकते।

## हिंदी भाषा के विविध रूप

**राष्ट्रभाषा** — भारत के अधिकांश राज्यों में हिंदी बोली, पढ़ी और लिखी जाती है। कुछ राज्यों; जैसे— उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा आदि में तो मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। इन्हीं कारणों से यह हमारी राष्ट्रभाषा कहलाती है।

**राजभाषा** — राजकीय (सरकारी) कामकाज जिस भाषा में की जाती है उसे राजभाषा कहते हैं। हमारे यहाँ हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में राजकीय कार्य होते हैं परंतु 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने 'हिंदी' को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया।

प्रतिवर्ष '14 सितंबर' को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं।

**संपर्कभाषा** — अलग-अलग प्रांत या देश के लिए जब एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने के लिए किसी एक निश्चित भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे संपर्क भाषा कहते हैं। हमारे देश (भारत) की संपर्क भाषा हिंदी और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेज़ी है।

**मातृभाषा** — मातृभाषा अर्थात माँ की भाषा यानी वह भाषा जिसे बच्चा सर्वप्रथम अपनी मां या परिवार के अन्य सदस्यों से सीखता है, मातृभाषा कहलाती हैं; जैसे— बंगाली, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु आदि परिवारों की मातृभाषा क्रमशः बंगला, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु आदि होती है।

**मानक भाषा** — हिंदी हमारी संपर्क भाषा है परंतु स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर इनमें बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता को दूर करने और भाषायी एकता लाने के उद्देश्य से भाषा का जो रूप निर्धारित किया गया है, उसे मानक भाषा कहते हैं। इसमें मुख्यतया शब्दों का मानकीकरण किया गया है; जैसे— शुद्ध का शुद्ध, विद्वान का विद्वान आदि।

**भारतीय संविधान की भाषाएँ** — भारत बहुभाषी देश है। यहाँ प्रत्येक राज्य की एक भाषा है। कई राज्य ऐसे भी हैं जहाँ एक से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं। भारतीय संविधान द्वारा केवल स्वीकृत 22 भाषाएँ हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं—

हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, बांग्ला, असमी, ओड़िआ, गुजराती, मराठी, कोंकणी, मलयालम, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत और मणिपुरी

Scanned with CamScanner

## बोली

भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। **बोली** देश के किसी भी भाग में बोली जानेवाली वह भाषा है जिसका अपना साहित्य नहीं होता, अपनी लिपि नहीं होती, परंतु ब्रज, अवधी, खड़ी बोली में साहित्य रचना भी हुई परंतु आगे चलकर केवल खड़ी बोली ही वर्तमान हिंदी भाषा का रूप ले पाई, जिसका व्यवहार हम करते हैं और जिनकी अपनी लिपि है।

## लिपि

भाषा का मूल रूप मौखिक है। बोली जानेवाली ध्वनियों को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिह्न निश्चित किए गए हैं। ये चिह्न ही लिपि कहलाते हैं। लिपि के कारण ही भाषा का लिखित रूप संभव हो पाया।

**किसी भी भाषा के वर्णों के लिखने की विधि लिपि कहलाती है।**

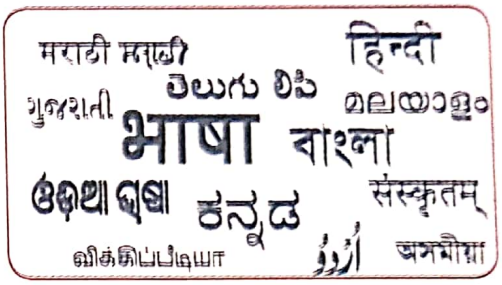


हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजराती, मराठी, संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में, अंग्रेज़ी रोमन में और उर्दू फ़ारसी लिपि में लिखते हैं।

## व्याकरण

व्याकरण शब्द बना है— वि+आ+करण से। व्याकरण शब्द का अर्थ है— भली-भाँति समझाना।

किसी भी भाषा के स्वरूप यानी वर्ण, शब्द एवं वाक्य को स्पष्ट रूप से समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। व्याकरण ही भाषा का मानक रूप निर्धारित करता है। इस प्रकार

भाषा का व्यवहार साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, रोज़गार, संचार-माध्यम, व्यापार, अर्थशास्त्र, इतिहास, दर्शन आदि सभी क्षेत्रों में होता है। भाषा का अपना निश्चित व्याकरण होता है।

**व्याकरण शब्दों, वाक्यों एवं भाषाओं का विश्लेषण करता है और उसके शुद्ध रूप एवं उसके प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है।**

व्याकरण के तीन विभाग हैं—

1. वर्ण विचार
2. शब्द विचार
3. वाक्य विचार

Scanned with CamScanner

## हमने सीखा

- भाषा भावों और विचारों को एक-दूसरे तक पहुँचाने का माध्यम है।
- भारतीय संविधान में 22 भाषाएँ स्वीकृत हैं।
- भाषा के दो रूप हैं— 1. मौखिक 2. लिखित
- भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने का माध्यम लिपि है।
- भाषा के नियम बतानेवाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं।
- व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है।
- हिंदी भारत की संपर्क भाषा और भारतीय संघ की राजभाषा भी है।

पहचान और प्रयोग पर आधारित

## बताइए

1. यदि भाषा न होती तो हमारा समाज कैसा होता?
2. लिपि का क्या लाभ है?
3. हिंदी भाषी क्षेत्र के किन्हीं छह राज्यों के नाम लिखिए—

## लिखिए

1. सही उत्तर पर ✓ निशान लगाइए—

i. भाषा के शुद्ध रूप के लिए किसे स्वीकार किया गया है?

☐ मातृभाषा ☐ मानक भाषा ☐ संपर्क भाषा ☐ राज भाषा

ii. भाषा को लिखित रूप किसके कारण मिला?

☐ लिपि ☐ वर्ण ☐ शब्द ☐ संकेत

iii. हम सबसे पहले किस भाषा को सीखते हैं?

☐ राष्ट्रभाषा ☐ संपर्क भाषा ☐ मानक भाषा ☐ मातृभाषा

iv. हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकृति मिली?

☐ 15 अगस्त, 1947 को ☐ 14 सितंबर, 1949 को

☐ 1 जनवरी, 1948 को ☐ 26 जनवरी, 1951 को

Scanned with CamScanner